

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/ 136-19613/जो. जयपुर/2024/440

दिनांक- 13/6/24

आदेश

पिंकी महावर, नर्सिंग ऑफीसर (परिवीक्षाधीन), जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार का असाधारण (363 दिवस) अवकाश स्वीकृत किया जाता है -

1. दिनांक 01.03.2016 से 03.03.2016 कुल 03 दिवस
2. दिनांक 05.03.2016 से 04.04.2016 कुल 31 दिवस
3. दिनांक 06.04.2016 से 28.02.2017 कुल 329 दिवस

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी। इस संबंध में निदेशालय के पूर्व जारी आदेश क्रमांक 400 दिनांक 30.05.2024 का प्रभाव शून्य किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/ 136-19613/जो. जयपुर/2024/440

दिनांक- 13/6/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(ग्रुप-3) राज. जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
5. अधीक्षक जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7873145

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :13-06-2024 10:29:47